न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—48 / 20 (2020 / 00076) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नारायण पिता बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—कमला पिता बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—सुखी पिता बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—संतु पिता बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—रामू पिता बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—मांगी बेवा बरदा गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नारायण पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—लच्छु पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—पारस पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—घीसी बेवा नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—देवीलाल पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—प्रभुलाल पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—प्रेमी पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—कैलाशी पिता सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—लेहरी बेवा सवाईराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित
1. हरिश टेलर — प्रार्थी अधिवक्ता
2. सुनिल जैन — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 07.01.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीगण व अन्य के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1227 रकबा 0.13 है0, 1232 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1240 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1241 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 1242 रकबा 0.47 है0 भूमियां अन्य आराजियात के साथ स्थित है तथा इन आराजियात की सिंचाई तालाब व आराजी चाह संख्या 1228 रकबा 0.05 है0 गैमुआचा जो प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 05 लगायत 10 व अन्य सहखातेदारी से दर्ज है तथा आराजी संख्या 1228 उक्त आराजियात का सिचांई का मुख्य स्त्रोत है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1227 की पूर्वी कोने पर व आराजी संख्या 1332 के उत्तरी पूर्वी कोने पर कुंआ आराजी संख्या 1228 स्थित है तथा प्रार्थीणण की आराजी संख्या 1227, 1228, 1232 से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1240, 1241 व 1242 में आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता विपक्षीगण संख्या [illegible] की आराजी संख्या 1233, 1234, 1235 की पूर्वी पाली पर होकर आगे विपक्षीगण संख्या 5 लगायत [illegible] आराजी संख्या 1236 एवं विपक्षीगण संख्या 5 लगायत 10 की आराजी संख्या 1239 की पूर्वी [illegible] चौड़ाई में पगडंडी के रूप में स्थित है और इसी रास्ते से प्राथीगण अपने कुंए [illegible] संख्या [illegible] व पास आराजी संख्या 1232, 1227 में आवागमन करते है तथा इन आराजियात व [illegible] से प्राथीगण की आराजी संख्या 1240 व 1241 में आवागमन करते है तथा आराजी संख्या 1240 की [illegible] मेड़ पर 4 फीट का [illegible] हुआ है। पानी के आवागमन का भी ओर उससे सिंचाई का भी एक मात्र यही रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में कुएं और अन्य आराजियात में जाने का कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से मौजुद नही है। विपक्षीगण आये दिन रास्ते को बन्द करने की धमकी देते है व आवागमन करने पर विवाद करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी संख्या 1232, 1227 व कुएं की आराजी संख्या 1228 से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन करने का रास्ता जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 1233, 1234, 1235, 1236, 1239 की पूर्वी पाली पर चार फीट चौड़ाई में स्थित है को बिलानाम किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कराये जाने एवं आराजी संख्या 1233, 1234, 1235, 1236, 1239 की पश्चिमी पाली पर वर्षो पुरानी नहर को पुनः खुलवाया जाकर चालु हालत में स्थापित कराई जाने एवं इसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम नहर दर्ज करने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर के नाम पारित करवाया जावें व उक्त रास्ते व नहर को सदैव खुलासा रखने हेतु विपक्षीगण को पांबद फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 22.05.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप़क्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया व विपक्षी संख्या 5 लगायत 10 के अधिवक्ता सुनिल जैन द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण 5 लगायत 10 की ओर से जवाब में अकिंत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को गलत बताते हुए अस्वीकार किया गया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी की आराजी पर न तो कभी आवागमन किया ओर न वर्तमान मे है। प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1227 व 1232 में आवागमन बिलानाम आराजी संख्या 1225 गै.मु. रास्ता से करते चले आ रहे है लेकिन आराजी संख्या 1240, 1241 में आने जाने का रास्ता सरकारी रास्ता नम्बर 1313 से होकर आराजी संख्या 1285, 1281, 1280, 1279, 1290 में बने हुए रास्ते से होकर आराजी नम्बर 1244 व 1243 में प्रवेश हो करते चले आ रहे है यह रास्ता मौके पर सीताराम जी के मन्दिर तक जा रहा है। प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 1243 की उत्तरी मेड़ पर आवागमन करने हेतु मौके पर लोहे की फाटक करीब 12 फीट चौड़ाई की लगा रखी है जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने हेतु रेकार्डेड व मौके पर पक्का रास्ता मौजुद होते हुए भी तथ्यो को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारीज योग्य है। मजीद कथन के रूप में पुनः जवाब को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 1243 की उत्तरी मेड़ पर आवागमन करने हेतु मौके पर लोहे की फाटक करीब 12 फीट चौड़ाई की लगा रखी है जिससे प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने हेतु रेकार्डेड व मौके पर पक्का रास्ता है उसकी वास्तविक स्थिति को लेकर नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो जबाव का अभिन्न अंग है। जवाबदाता द्वारा न्यायालय श्रीमान के यहां स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आराजी नम्बर 1236, 1239 से किसी प्रकार का आवागमन नही करने व पूर्वी मेड़ पर लगी जाली को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नही करने हेतु प्रार्थीगण को पांबद करने हेतु दिनांक 05.08.2019 को पेश किया जो विचाराधीन है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा की कृषि भूमियां आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 प्रार्थीगण खातेदार नारायणलाल पिता बरदा कमला, सुखी, संतु, रामू पुत्रियां बरदा मांगी बेवा बरदा गुर्जर के नाम सह खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त आराजी नम्बर वर्तमान में प्रार्थीगण खातेदारान के कब्जे में होकर वर्तमान में आवागमन करने को कोई रेकार्डेड रास्ता नही है। उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण खातेदारान ग्राम गलवा की आराजी संख्या 1313 किस्म गै.मु. रास्ता से होकर खातेदारी आराजी संख्या 1908 / 1285 से होकर आराजी संख्या 1285 में होकर आगे आराजी संख्या 1281, 1282, 1279 में होकर आगे आराजी संख्या 1244 व 1243 में होकर संलग्न राजस्व नक्शे में हरी स्याही से दर्शाये अनुसार आवागमन कर रहे है। इस रास्ते के संबध में प्राथी खातेदारान को कोई [illegible] चारू रूप से आवागमन कर रहे है। आराजी संख्या 1279, 1280, 1281, 1285, 1908 / 12[illegible] एवं 1244 खातेदारी है जमाबन्दी की नकले संलग्न है। इसी प्रकार ग्राम गलवा [illegible] .05 है0 किस्म गै.मु. आचा में प्रार्थी खातेदारान का 1 / 4 अन्य खातेदारान [illegible] दर्ज रका[illegible]। आराजी संख्या 1228 रकबा 0.05 है0 गै.मु. आचा से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1240, 1241 [illegible] 1242 तक आवागमन का कोई रेकार्डेड रास्ता नही बना हुआ है मात्र पगडंडी से होकर नक्शे में लाल स्याही [illegible] अंकन अनुसार आराजी संख्या 1228 से 1240, 1241 एवं 1242 तक आवागमन करते है। मौके पर प्रार्थी खातेदारान चाह आराजी संख्या 1228 से होकर खातेदारी आराजी संख्या 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1892 / 1239, 1893 / 1239 की पूर्वी मेड़ो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:00 IST
Reason: SelfAttested

के सहारे—सहारे संलग्न राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार 2 मीटर चौड़ाई में रास्ता चाहते है। वर्तमान में आराजी चाह संख्या 1228 से खातेदारी आराजी संख्या 1240, 1241 व 1242 तक किसी भी प्रकार से आवागमन नही हो रहा है। आराजी संख्या 1236, 1892 / 1239 रकबा 0.03 है0 आराजी संख्या 1893 / 1239 रकबा 0.27 है0 से सम्बधित खातेदार आवागमन में अड़चने पैदा करते है। आराजी संख्या 1233, 1234, एवं 1235 की उत्तरी मेड़ तक आसानी से प्रार्थीगण आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण खातेदारी आराजी संख्या 1235, 1236, 1892 / 1239, 1893 / 1239 की उत्तरी मेड़ के सहारे—सहारे आराजी संख्या 1228 से 1240, 1241 एवं 1242 में 2 मीटर चौड़ाई में आवागमन चाहते है जिसका कीमतन विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है।

नाम ग्राम	आराजी संख्या	रकबा है0	किस्म	नाम खातेदार	रास्ते के रूप में उपयोग में आने वाला रकबा	डीएलसी दर सिंचित दूर	डीएलसी दर का दुगुना करने पर कीमत
गलवा	1233	0.08	चाही।।	नारायण लच्छु पारस पिता नानुराम घीसी बेवा नानुराम गुर्जर नि. गलवा	25X2=50 मी.	91530 रू. प्रति बीघा	4238 रू.
	1234	0.10	चाही।।	नारायण लच्छु पारस पिता नानुराम घीसी बेवा नानुराम गुर्जर नि. गलवा	35X2=70	91530 रू. प्रति बीघा	5933 रू.
	1235	0.10	चाही।।	नारायण लच्छु पारस पिता नानुराम घीसी बेवा नानुराम गुर्जर नि. गलवा	20X2=40	91530 रू. प्रति बीघा	3390 रू.
						योग	13561 रू.
	1236	0.23	चाही।।। गै.मु. खड्डा 0.01 है0	देवीलाल, प्रभुलाल पिता सवाईराम प्रेमी, कैलाशी, पुत्रीयां सवाईराम गुजर प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुजर	36X2=72	91530 रू. प्रति बीघा	5933 रू.
	1892 / 1239 1893 / 1239	0.03 0.27		प्रेमदेवी पत्नि प्रभुलाल गुजर	50X2=100	91530 रू. प्रति बीघा	8475 रू.
						योग	14408 रू.

वर्तमान में आराजी संख्या 1228 गै.मु. चाह से आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 तक पंहुचने का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण जो रास्ता चाहता है उसे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते को डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि आराजी संख्या 1240, 1241, व 1242 में आवागमन करने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 1233, 1234, 1235, 1236 व 1239 की पूर्वी पाली पर रास्ता चाहा गया है और इसी प्रकरण को ध्यान में विपक्षी संख्या 5 से 10 की ओर से प्रार्थीगणो के विरूद्व अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट के तहत् वाद पेश कर रखा है प्रार्थीगण रास्ता चाहते है और विपक्षी रास्ता नही देते हुए धारा 188 के तहत् प्रार्थीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा चाहते है।

तहसीलदार रायपुर द्वारा [illegible] रिपोर्ट में [illegible] कि प्रार्थीगण अपनी सहखातेदारी भूमि में राजकीय बिलानाम रास्ता 1313 से होता हुआ आराजी [illegible] 1[illegible] / 1285 से होकर आराजी संख्या 1285 में होकर आगे आराजी संख्या 1281, 1282, 1279 में होकर [illegible] आराजी संख्या 1244 व 1243 में होकर संलग्न राजस्व नक्शे में हरी स्याही से दर्शा[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:00 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकरण में प्रार्थी अधि[illegible] कि आराजी 1228 जो शामलाती चाह है जिससे लगती हुई सहखातेदारी आराजी 1227, 1230, 1231, 1232, 1237 भूमि दर्ज है और इस आराजी संख्या 1227 से आराजी संख्या 1240 में जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी आती है जिसमें से होकर चाह एवं अन्य खातेदारी भूमि से सीधे आराजी संख्या 1240 में आते जाते है। और उक्त आवागमन हेतु मात्र 2 मीटर रास्ता चाहते है। आराजी संख्या 1240, 1241, व 1242 से आराजी संख्या 1228 पर जाना हो तो आराजी

संख्या 1243, 1244, 1290 आदि से होता हुआ आराजी संख्या 1313 बिलानाम एवं आराजी संख्या 1225 से होकर आवागमन होता जो लगभग 900 मीटर की दुरी है जबकि विपक्षी की आराजियात से मात्र 200 मीटर की दुरी तय करनी पड़ती है।

प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 1232, 1234 और 1235 व 1236 की पूर्वी मेड़ पर रास्ता चाहा गया है जबकि इन्ही आराजियात की पूर्वी मेड़ से लगती हुई प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी संख्या 1231, 1237 है जिसकी पश्चिमी मेड़ पर होता हुआ प्रार्थी मात्र आराजी संख्या 1238 की पश्चिमी मेड़ पर होता हुआ अपनी सहखातेदारी आराजी संख्या 1241 के उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर पहुंच सकता है मात्र लगभग 50 मीटर की दुरी है जहां प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है। इसी के साथ प्रार्थीगण द्वारा आराजी संख्या 1233, 1234, 1235, 1236 व 1239 की पश्चिमी मेड़ पर वर्षो पुरानी नहर को खुलवाने हेतु निवदेन किया गया है नहर से सम्बधित प्रकरण में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है जिससे प्रार्थीगण के इस कथन को बल नही मिलता है फिर भी प्रार्थीगण चाहे तो इस बाबत् सम्बधित विभाग से राहत हेतु चाराजोही करने में स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थीगण को अपनी सहखातेदारी आराजी संख्या 1237 से 1241 में जाने हेतु रास्ते की अतयन्त आवश्यकता है जिसके लिये प्रार्थीगण आराजी संख्या 1233, 1234, 1235 और 1236 की पूर्वी पाली से रास्ता चाहता है जो उचित नही है चुंकि इन्ही आराजियात के पूर्वी तरफ प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि आराजी संख्या 1231, 1237 लगती हुई है जिसकी पश्चिमी मेड़ पर होता हुआ आगे आराजी संख्या 1238 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे आवागमन करते हुए अपनी खातेदारी आराजी संख्या 1240, 1241 में पहुँच सकता है जिसमें बहुत कम दुरी तय करनी पड़ती है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में आवागमन हेतु आराजी संख्या 1233, 1234, 1235, 1236, 1239 की पूर्वी मेड़ पर जो रास्ता चाहा गया वो न्यायोचित नही है इसके स्थान पर प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन हेतु शामलाती चाह आराजी संख्या 1228 से होता हुआ अपनी सहखातेदारी की आराजी संख्या 1231, 1237 से होता हुआ विपक्षी की आराजी संख्या 1238 की पश्चिमी मेड़ से होता हुआ सुविधाजनक आवागमन कर सकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी संख्या 1240, 1241, 1242 में आवागमन हेतु अपनी सहखातेदारी चाह आराजी संख्या 1228 से होता हुआ आराजी संख्या 1231 व 1237 की पश्चिमी मेड़ के पास होता हुआ विपक्षीगण की आराजी संख्या 1238 की पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे अपनी आरायिजात में आवागमन करे इस हेतु आराजी संख्या 1238 मे से रकबा 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 91530/–रूपये प्रति बीघा होने से भूमि कीमत 6356/–रूपये के दुगुनी 12712/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि आराजी संख्या 1238 की पश्चिमी मेड़ पर रकबा 0.0150 है0 को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.29 13:58:00 IST
Reason: SelfAttested

7.01.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रायपुर, जिला–भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते